प्रारूप (ग-1)

सेवाकाल में किसी अभिदाता की मृत्यु हो जाने पर उसकी मृत्यु के पूर्ववर्ती तीन वर्षों में उसके भविष्य निधि खाते में औसत जमा अवशेष के आधार पर परिषदाज्ञा संख्या 54-जी/वि.नि.-का-1-69ए/1981 दिनांक 27.4.89 के अनुसार धनराशि प्राप्त करने का यह आवेदन पत्र जिसका प्रयोग नामितों द्वारा या जहाँ कोई नामित (Nominee) न हो, अन्य दावेदारों द्वारा किया जायेगा।

सेवा में,

(1) वरिष्ठ लेखाधिकारी,
उ.प्र. पावर सेक्टर. इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन, लखनऊ
(विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से)

(2) .....
.....
.....

महोदय,

अनुरोध है कि स्व० श्री/श्रीमती/कुमारी ..... के भवष्यि निधि खाते में उनकी मृत्यु माह (दिनांक .....) के पूर्ववर्ती तीन वर्षों में जो औसत जमा धनराशि अवशेष रही है उसके बराबर धनराशि के रूप में अतिरिक्त धनराशि का भुगतान करने का कृपया प्रबन्ध करें। इस सम्बन्ध में अपेक्षित विवरण निम्नवत् है :-

1. कार्मिक का नाम .....
2. जन्म का दिनांक .....
3. परिषद की सेवा प्रारम्भ करने का दिनांक .....
4. वह पद जिन पर कार्मिक मृत्यु के पूर्व सेवारत था .....
5. क्या मृत्यु के पूर्व की तिथि को कर्मचारी ने पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली थी .....
6. मृत्यु के पूर्व क्या तीन वर्षों में कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में औसत जमा और उपरोक्त परिषदाज्ञा में निर्धारित न्यूनतम अवशेष को देखते हुए प्रार्थी द्वारा धनराशि के रूप में अतिरिक्त धनराशि पाने का पात्र है अथवा नहीं .....
7. नगरपालिका के प्राधिकारियों आदि द्वारा जारी किये गये मृत्यु प्रमाण-पत्र के रूप में, यदि उपलब्ध हों, मृत्यु का प्रमाण-पत्र (संलग्नक सं.) .....
8. मृत्यु का दिनांक .....
9. अभिदाता को प्रविष्टि .....
10. अभिदाता के नाम उसकी मृत्यु के माह से पूर्ववर्ती तीन वर्षों में औसत जमा भविष्य निधि की धनराशि यदि ज्ञात हो (रू० .....)
11. यदि कोई नामन (Nomination) हो, तो अभिदाता की मृत्यु के दिनांक को जीवित नामितों (Nomiees) का ब्यौरा।

	नामित का नाम	अभिदाता से सम्बन्घ	नामित का हिस्सा
1.	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....
4.	.....	.....	.....
5.	.....	.....	.....

12. उस दशा में परिवार का ब्यौरा जब कि नामन (Nomination) किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में किया गया हो जो परिवार का सदस्य न हो, परन्तु अभिदाता ने बाद में परिवार बना लिया हो।

	नाम	अभिदाता से सम्बन्ध	मृत्यु के दिनांक पर आयु
1.	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....
4.	.....	.....	.....

13. यदि कोई नामन न हो, तो अभिदाता की मृत्यु के दिनांक पर परिवार के उत्तरजीवी सदस्यों का ब्यौरा दिया जाय। यदि अभिदाता की कोई पुत्री या अभिदाता के किसी मृत पुत्र की पत्नी हो उसका विवाह अभिदाता की मृत्यु से पूर्व हो गया हो तब उसके नाम के सामने यह लिख देना चाहिए कि क्या उसका पति अभिदाता की मृत्यु के दिनांक पर जीवित था।

	नाम	अभिदाता से सम्बन्ध	मृत्यु के दिनांक पर आयु
1.	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....
4.	.....	.....	.....

14. उस दशा में जबकि अवयस्क पुत्र/ पुत्री को जिसकी माँ (अभिदाता की विधवा) हिन्दू न हो, यदि धनराशि देय हो तो दावे का भुगतान यथास्थिति क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र या अभिभावक प्रमाण-पत्र के आधार पर किया जाना चाहिए।

15. यदि अभिदाता ने कोई परिवार नहीं छोड़ा है, और कोई नामन (Nomination) न हो तो उन व्यक्तियों के नाम जिन्हें भविष्य निधि की धनराशि देय है इसका समर्थन सप्रमाण पत्रों (Letter of probate) या उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र आदि द्वारा किया जाना चाहिए।

	नामित का नाम	अभिदाता के सम्बन्ध	नामित का हिस्सा
1.	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....
4.	.....	.....	.....

16. दावेदार (दावेदारों) का धर्म .....

17. भुगतान ..... के कार्यालय के जरिए ..... चाहते हैं। इससम्बन्ध में सेवारत गजटेड (राजपत्रित) अधिकारियों/मजिस्ट्रेट द्वारा यथावत् प्रमाणित निम्नलिखित अभिलेख संलग्न है :

1. अभिज्ञान के वैयक्तिक चिन्ह
2. बायें/दायें हाथ के अगूंठे और उंगलियों की छाप (निरक्षर दावेदारों की दशा में)
3. नमूने के हस्ताक्षर की दो प्रतियाँ (साक्षर दावेदारों की दशा में)

भवदीय

(दावेदार का हस्ताक्षर)

स्थान .....
दिनांक .....

(कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष के प्रयोग के लिए)

1. वरिष्ठ लेखाधिकारी उ.प्र. पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट. शक्ति भवन. लखनऊ को आवश्यक को आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित कि ऊपर दिये गये ब्यौरा का विधिवत सत्यापन कर लिया गया है।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी..... के भविष्य निधि लेखे की सं. (जैसी वह उसे भेजे गये वार्षिक विवरण पत्रों से सत्यापित की गई है) ई.बी/.....

3. उसकी मृत्यु दिनांक ..... को हुई। नगरपालिका प्राधिकारियों द्वारा जारी किया गया मृत्यु का प्रमाण-पत्र दिया गया है। इस मामले में उसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसकी मृत्यु के बारे में कोई सन्देह नहीं है।

4. उसके ..... महीने (सेवाकाल का अन्तिम मास लिखा जाना चाहिए) के वेतन से, जो इस कार्यालय के देयक (बिल) संख्या ..... दिनांक ..... के द्वारा निकाला गया, अभिदान की अन्तिम कटौती रू० ..... (रू० ..... की) की गयी, जिसका ..... कार्यालय का नकदी प्रमाणक (कैश वाउचर) संख्या कटौती की धनराशि ..... थी और अग्रिम धन की वापस की वसूली रू० ..... थी।

5. प्रमाणित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के दिनांक से तुरन्त पूर्व के 36 महीनों में न तो उसे कोई अस्थायी अग्रिम धन स्वीकृत किया था और न उसे उसके भविष्य निधि लेखे से अभिरूप से कोई धनराशि निकालने की स्वीकृति दी थी।

या

प्रमाणित किया जाता है कि उसकी मृत्यु की दिनांक से तुरन्त पूर्व के 36 महीनों में निम्नलिखित अस्थाई

अग्रिम तथा/अथवा अन्तिम निष्कासन के रूप में धनराशियां निकालने के लिए स्वीकृति की गई वो और वे निकाल ली गई थी :-

क्रम सं.	धनराशि	दिनांक
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

6. प्रमाणित किया जाता है कि उसके भविष्य निधि खाते से वित्त पोषित जीवन बीमा पालिसी के प्रीमियम के भुगतान हेतु उसकी मृत्यु से तुरन्त पूर्व के 36 महीनों में इसका भविष्य निधि लेखे से कोई धनराशि नहीं निकाली गई थी/निम्नलिखित धनराशियँ निकाली गयी थी :-

पालिसी सं. और कं. का नाम	धनराशि	दिनांक	प्रमाणक संख्या
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

प्रमाणित किया जाता है कि वसूली के लिये देय कारपोरेशन/निगम को कोई माँग नहीं है/निम्नलिखित माँग है।

कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष के हस्ताक्षर

* विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष का पदनाम तथा कार्यालय का पता लिखा जाय।